न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—648/2012/223 (2012/00062)

1. श्रीमती दाखा पत्नी पांचू, जाति जाट, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— सांवरा पुत्र पांचू, जाति जाट, स्वर्गवास,
   1/2— उमराव पुत्र पांचू, जाति जाट,
   1/3— श्रीमती सायरी पुत्री पांचू, जाति जाट,
   1/4— श्रीमती छोटी पुत्री पांचू, जाति जाट,
   1/5— श्रीमती शांति पुत्री पांचू, जाति जाट,
2. सांवरा पुत्र पांचू, जाति जाट, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— श्रीमती गीता पत्नी स्व0 सांवरा,
   2/2— अर्जुन पुत्र स्व0 सांवरा,
   2/3— विनोद पुत्र स्व0 सांवरा,
   2/4— दिनेश पुत्र स्व0 सांवरा,
   2/5— कंचन पुत्री स्व0 सांवरा,
   समस्त निवासी ग्राम देराठू, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. कालू पुत्र काना, जाति जाट, नि0 देराठू, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर।
2. रामा पुत्र काना, जाति जाट,
3. नन्दा पुत्र गांधी, जाति जाट,
4. अशोक पुत्र नन्दा,
5. मीरा पुत्री नन्दा,
6. बन्दरा पुत्री नन्दा,
7. शारदा पुत्री नन्दा,
8. सुखपाल पुत्र गंभीरा,
9. आशा पुत्री नन्दा,
10. नीना पुत्र नन्दा, जाति जाट,
    निवासी रामदयाल मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
11. उमराव पुत्र पांचू, जाति जाट, नि0 ग्राम देराठू, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
12. सायरी पुत्री पांचू पत्नी देवकरण, जाति जाट, निवासी लोहरवाड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
13. छोटी पुत्री पांचू, पत्नी शिवराज, जाति जाट, नि0 ग्राम लोहरवाड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
14. शांति पुत्री पांचू पत्नी कल्याण, जाति जाट, निवासी लोहरवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
15. मांगू पुत्र काना, जाति जाट, नि0 ग्राम देराठू, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
16. कोका पुत्री काना, जाति जाट, नि0 ग्राम बुबानिया, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
17. संतू पुत्री काना, जाति जाट, निवासी ग्राम दिलवाड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
18. श्योदान पुत्र गंभीरा, जाति जाट,
19. शिशपाल पुत्र गंभीरा, जाति जाट,

20. भंवरलाल पुत्र गंभीरा जाति जाट,
21. रिद्धकरण पुत्र गंभीरा, जाति जाट,
22. जीवण लाल पुत्र गंभीरा, जाति जाट,
23. गीता पत्नी गोपाल, जाति जाट,
24. शिवराज पुत्र गोपाल, जाति जाट,
25. हंसराज पुत्र गोपाल, जाति जाट,
    समस्त निवासी ग्राम चाट, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, दिनांक 10.9.2012 अंतर्गत वाद संख्या 70/2010.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील रेस्पो0 संख्या 18 से 25.
4. रेस्पो0 संख्या 2 से 17 अनुपस्थित ।
5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 26.

निर्णय

दिनांकः— 3.12.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.9.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धोलादांता, तह0 नसीराबाद स्थित चौसाला खसरा नंबर 695 रकबा 4—6—10 व खसरा नंबर 441 रकबा 12—0—10 बीघा आराजी चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 में जगन्नाथ पुत्र जवारा व सूजा, पांचू, काना पि0 जोरा के नाम दर्ज थी। इसी अनुसार वर्किंग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में जगन्नाथ फौत होने से कालू मुतबन्ना जगन्नाथ 1/2 हिस्सा दर्ज है के बजाय जोरा के तीनों पुत्रों सूजा, पांचू व काना के नाम दर्ज कर दी गई जबकि अकेले वादी कालू के नाम दर्ज करना चाहिये था । इस कारण वादी को खातेदारी घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 ने वाद में तीन तनकियात कायम कर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद दिनांक 10.9.2012 को डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । रामचंद्र के दो पुत्र जुवारा व जोरा हुए ।

जुवारा के जगन्नाथ हुआ जो नाऔलाद बिना वसीयत एवं बिना किसी को गोद लिए फौत हो गया था जिससे संपूर्ण आराजियात पर जोरा के चारों वारिसान अपने–अपने हिस्से अनुसार वर्षो पूर्व हुए बंटवारे अनुसार काबिज काश्त है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिससे यह साबित हो कि कालू को जगन्नाथ ने गोद लिया हो तथा गोद के संबंध में समाज के किसी पंच या अन्य व्यक्तियों के बयान भी लेखबद्ध नहीं करवाये थे । बयानों में कालू ने साफ कहा है कि मैं गोद पुत्र हूं और रजिस्टर्ड गोदनामा पत्रावली में लगा है किन्तु पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज कालू द्वारा पेश नहीं किया गया है । जिस समय जगन्नाथ की मृत्यु हुई थी जोरा के वारिसान सभी शामिल रूप से निवास करते थे किन्तु जगन्नाथ के हिस्से की आराजियात हड़पने के लिए महत्वूपर्ण तथ्यो छिपाकर वाद निर्णित करवाया है । राजचन्द्र का पोता नाऔलाद फौत होने पर जोरा के चार वारिसान जिसमें तीन पुत्र एवं एक पुत्री विधिक वारिसान थे जिसमें दाखा पुत्री जोरा को अपनी पुश्तैनी आराजियात में से किसी प्रकार का कुछ भी हिस्सा न देकर भारी कानूनी भूल की है तथा वर्किग व हाल में खुले नामांतकरण को भी कालू द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है तथा एक चौसाला जमाबंदी में गलत त्रुटिपूर्ण इंद्राज होने मात्र से दत्तक पुत्र मान लेने में अधी0न्याया0 ने कानूनी भूल की है । इस कारण अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा पत्रावली में कालू पुत्र जगन्नाथ नाम का कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि कालू जगन्नाथ का गोद पुत्र है एवं न ही ऐसा कोई गवाह पेश किया जिससे यह साबित होता हो कि कालू जगन्नाथ के गोद गया हो जबकि वर्तमान में भी कालू के पिता का नाम काना ही दर्ज है । जिसकी पुष्टि राशनकार्ड, बिजली के बिल एवं पहचान पत्र आदि से होती है । वर्तमान में विवादित आराजियात पर प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा मौके पर विद्यमान है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य छिपाकर वाद वाद किया जिसे अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत वाद डिक्री करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.9.2012 निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1991 पेज 426 हेडनोट–बी, आर0बी0जे0 2020 (27) पेज 122, आर0एल0डब्ल्यू0 2013 (2) राज0 पेज 912, आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 695, आर0बी0जे0 2016 पेज 221 एवं ए0आई0आर0 2008 झारखण्ड पेज 12 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादग्रस्त आराजियात वादी कालू एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के संयुक्त खातेदारी/सहकाश्तकारी की पुश्तैनी आराजियात है । साबिक चौसाला खसरा नंबर 695 जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 के अनुसार जगन्नाथ वल्द जवारा व सूजा, पांचू, काना पुत्रान जोरा के नाम दर्ज है जो इसी अनुसार वर्किग जमाबंदी एवं आधार जमाबंदी में भी दर्ज है । जगन्नाथ के फौत होने से आधार जमाबंदी में कालू मुतबन्ना जगन्नाथ 1/2 हिस्सा दर्ज है । साबिक खसरा नंबर 695 चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 के कॉलम नंबर 5 में जगन्नाथ वल्द जवारा के नाम दर्ज है लेकिन मृतक जगन्नाथ की विरासत गोद पुत्र कालू मुतबन्ना जगन्नाथ अंकित करने के बजाय जोरा के तीनों पुत्र यथा सूजा, पांचू व काना के नाम दर्ज कर दी गई । तत्पश्चात् इसी अनुसार चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के कॉलम संख्या 5 में जोरा के तीनों पुत्रों का नाम दर्ज कर

दिया जबकि जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में साबिक खसरा नंबर 441 में जगन्नाथ फौत बनाम कालू वल्द जगन्नाथ दर्ज है । उक्त इंद्राज से सिद्ध है कि साबिक खसरा नंबर 695 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 602 एवं आधार खसरा नंबर 791/1043 बनाये गये है तत्हा रूप से जगन्नाथ पुत्र जवारा की खातेदारी की भूमि थी लेकिन जगन्नाथ के फौत होने पर विरासत जोरा पुत्र रामचंद्र के तीनों पुत्रों के नाम तस्दीक कर दी गई जो गलत इंद्राज है । वादग्रस्त आराजियात बाबत् समाज के बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा जगन्नाथ के मुतबन्ना पुत्र वादी/रेस्पो0 संख्या 1 एवं जोरा की तीनों पुत्रों के मध्य प्रत्येक का 1/4 हिस्सा निहित होना निश्चित किया गया । उक्त बाहमी समझौते बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है लेकिन इस आधार पर ही पांचू पुत्र जोरा ने संपूर्ण आराजियात में अपना 1/4 हिस्सा निहित होना मानते हुए उक्त 1/4 हिस्सा मात्र साबिक खसरा नंबर 441 वर्किंग खसरा नंबर 416 व 444 में से ही प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 16 को विक्रय किया था जिसके आधार पर आधार जमाबंदी में भी उनका नाम पांचू के स्थान पर दर्ज किया गया है लेकिन साबिक खसरा नंबर 695, 602 तथा आधार नंबर 791/1043 में चौसाला जमाबंदी में दर्ज त्रुटि प्रविष्टि के आधार पर पांचू का नाम यथावत् रह गया जबकि जोरा के सभी वारिसान का नाम तर्क किया जाकर उक्त आराजियात वादी/रेस्पो0 संख्या 1 कालू के तन्हा नाम से दर्ज किया जाना विधिसम्मत निर्णय व डिक्री है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 जगन्नाथ का गोद पुत्र है इसी कारण जगन्नाथ की अन्य आराजियात उसके नाम दर्ज की गई थी । यदि वादी जगन्नाथ का दत्तक पुत्र नहीं होता तो प्रतिवादी/अपीलांटस द्वारा प्रतिवाद पत्र पेश किया जाता । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे। विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 2003 पार्ट–3 पेज 1891–बी, आर0आर0डी0 2012 पार्ट–2 पेज 1395 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी कालू द्वारा अपने आपको जगन्नाथ का दत्तक पुत्र बताते हुए ग्राम देरांठू तहसील नसीराबाद स्थित चौसाला खसरा नंबर 695 रकबा 4–6–10 व खसरा नंबर 441 रकबा 12–00–10 बीघा के संबंध में वाद प्रस्तुत किया। चौसाला खसरा नंबर 695 के वर्किंग खसरा नंबर 602 के हाल खसरा नंबर 791/1043 रकबा 0.70 है0 बने है । वाद में कथन किया कि साबिक खसरा नंबर 695 चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 में जगन्नाथ वल्द जवारा की खातेदारी में दर्ज रही है । जगन्नाथ की मृत्यु हो जाने के कारण नामांतकरण संख्या 140 दिनांक 20.2.1966 को सूजा, पांचू व काना के नाम दर्ज की गई । वाद में आगे कथन किया कि अन्य चौसाला खसरा नंबर 441 में वादी का आधा हिस्सा दर्ज है परन्तु हाल खसरा नंबर 791/1043 में उसका नाम दर्ज नहीं किया गया जबकि वादी कालू, जगन्नाथ का गोद पुत्र है इस कारण सूजा, पांचू व काना पुत्रगण जोरा का नाम हटाया जाकर वादी का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे । प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर वादी के वाद कथनों से इंकार किया तथा कथन किया कि वादी जगन्नाथ का दत्तक पुत्र नही है । जगन्नाथ लाऔलाद फौत हुआ था । वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जगन्नाथ की भूमि सगे भाई जोरा के उपरांत उसके तीन पुत्रों सूजा, पांचू व काना के नाम नामांतकरण संख्या 140 दिनांक 20.2.1966 को विधिवत् दर्ज किया गया है । प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 9, 10 व 11 द्वारा इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया ।

अधी0न्याया0 द्वारा वाद में तीन तनकियात कायम की गई जिसमें तनकी संख्या 1 आया वादी जगन्नाथ का दत्तक पुत्र है, कायम की गई । इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष इस तनकी को सिद्ध करने के लिए कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पंजीबद्ध गोदनामा आदि पेश नहीं किये गये है एवं न ही मौखिक साक्ष्य में किसी स्वतंत्र गवाहों के बयान करवाकर गोद संबंधी रीति–रिवाज से गोद जाना ही सिद्ध किया है । स्वंय के बयान में भी जिरह में कथन किया कि बालिग होने के बाद भी पिता का नाम कालू पुत्र काना दर्ज करवाया गया एवं राशनकार्ड में भी कालू पिता काना का ही नाम दर्ज है। किसी भी सरकारी दस्तावेज में कालू दत्तक पुत्र जगन्नाथ दर्ज नहीं किया गया है । यह भी कथन किया कि वादी जब जवान हुआ तो संवत् 2032 में नुक्ता किया गया उस समय समाज गांव के व्यक्ति मौजूद थे । पांचू ने पगड़ी बंधाई थी, इन बयानों से भी वादी का गोद जाना सिद्ध नहीं होता है । जबकि हिन्दू एडोप्शन एवं मेंटिनेंश एक्ट 1956 के अनुसार गोद के संबंध में स्वतंत्र एवं ठोस साक्ष्य होना व गोद को सिद्ध करना प्रथम शर्त होती है । परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधी0न्याया0 के समक्ष वादी कालू द्वारा जगन्नाथ के गोद गया हो इस संबंध में न तो कोई पंजीबद्ध गोदनामा पेश किया गया है एव ंना ही स्वतंत्र साक्ष्य इस बाबत् पेश ही किये गये है । अधी0न्याया0 द्वारा मात्र नामांतकरण संख्या 18 दिनांक 2.11.2007 को आधार मानते हए वादी को जगन्नाथ का गोद पुत्र माना गया है जबकि नामांतकरण संख्या 18 दिनांक 2.11.2007 से पूर्व ही नामांतकरण संख्या 140 दिनांक 20.2.1966 को जगन्नाथ की विरासत सूजा, पांचू व काना पुत्रगण जोरा के नाम दर्ज की जा चुकी थी। वादी द्वारा नामांतकरण संख्या 140 को निरस्त कराने के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की हो, इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य वादी ने पेश नहीं किये थे । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक व्यक्ति के नाम दो विरासत नामांतकरण स्वीकृत नहीं किये जा सकते है। अधी0न्याया0 द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य को नजरअदांज कर तनकी संख्या 1 का निर्णय अविधिक रूप से बिना साक्ष्य के किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । गोद के संबंध में इकबाली जवाबदावा भी महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मानी जा सकती है जब तक कि गोदनामा प्रस्तुत करने वाला न्यायालय में आकर सशपथ बयान होकर जिरह नहीं हो जाये । इस कारण इकबाली जवाब के आधार पर गोद नामे को प्रमाणित नही माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 1 का निर्णय निरस्त योग्य होकर गोद के संबंध में पुनः पक्षकारों की साक्ष्य ली जाकर गोद के बिन्दु का अधी0न्याया0 से परीक्षण कराया जाना उचित समझते है । अतः तनकी संख्या 1 के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाता है ।

7. जहां तक तनकी संख्या 2 का प्रश्न है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 2 इस प्रकार कायम की थी कि '' आया हाल खसरा नंबर 791/1043 का वर्तमान इंद्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी उक्त आराजी की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है । '' चूंकि तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी/रेस्पो0 के विरूद्ध पारित किया गया है । अतः यह तनकी भी तनकी संख्या 1 के निर्णय अनुसार निर्णित की जाकर तनकी संख्या 2 का निर्णय भी निरस्त किया जाता है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा वाद संख्या 70/2010 में पारित

निर्णय व डिक्री दिनांक 10.9.2012 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली उपरोक्त विवेचनानुसार गोद के बिन्दू पर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 3.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर